डॉ0 एन0 सरवण कुमार,भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 03.03.2013 को सम्पन्न लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यशाला की कार्यवाही।

....

उपस्थिति :– यथा पंजी संधारित।

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक प्रारंभ करते हुए कहा गया कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित यह कार्यशाला प्रत्येक माह होने वाला दूसरा कार्यशाला है। दिनांक 03.02.2013 को आयोजित पहला कार्यशाला में आपकी समस्याओं को सुना गया था तथा उसके निदान हेतु कार्यशाला में निर्णय लिए गए थे। सम्पन्न कार्यशाला की कार्यवाही अनुपालन हेतु आपको भेजी गई थी। आशा की जाती है कि आपलोग सरकार के इस महत्वकांक्षी योजना में शत–प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने एवं आम जनता की समस्याओं का निपटारा किया होगा। तदोपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई :–

1. सामाजिक कल्याण :–

सामाजिक कल्याण के तहत जिले में 708 आवेदन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद लंबित हैं जिसमें सम्पतचक प्रखंड में 375, बिहटा प्रखंड में 109, फुलवारीशरीफ प्रखंड में 86, बाढ़ प्रखंड में 63, दुल्हिन बाजार 43 प्रमुख है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सम्पतचक द्वारा बताया गया कि 224 आवेदन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं 45 पेंशन से संबंधित है। पेंशन का आवेदन श्री जयराम चौधरी, पंचायत सचिव, लंका कछुआरा पंचायत के स्तर पर लंबित है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलवारी ने बताया कि पेंशन के 34 एवं कन्या विवाह योजना के 25 आवेदन हैं। जिलाधिकारी द्वारा स्थापना उप समाहर्ता–सह–नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, सम्पतचक, बिहटा एवं बाढ़ का वेतन स्थगित किया जाय। साथ ही साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं कार्यपालक सहायक को निदेशित किया गया कि

समयबद्ध तरीके से सिंक्रोनाईजेशन का कार्य प्रतिदिन किया करें। भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए निदेशित किया गया कि जिस स्तर पर सिंक्रोनाईजेशन का कार्य प्रतिदिन नहीं किया जाएगा उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई जिला स्तर से की जाएगी।

2. राजस्व एवं भूमि सुधार :–

राजस्व मामले के तहत जिले में कुल 679 आवेदन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी लंबित है जिसमें फुलवारीशरीफ अंचल में 177, मोकामा अंचल में 234 तथा सम्पतचक अंचल में 134 प्रमुख है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित अंचलाधिकारी से कारणपृच्छा की मांग की जाय। पटना सदर अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वहाँ तीन सिस्टम पर कार्य होता है, जबकि प्रतिवेदन 1200 से 1500 आवेदन प्राप्त होते है। उनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं कार्यपालक सहायक की मांग की गई। जिलाधिकारी द्वारा स्थापना उप समाहर्ता–सह–नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पटना सदर अंचल कार्यालय में एक सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं दो कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति अविलम्ब की जाय। साथ ही साथ मोकामा प्रखंड के सूचना प्रौद्योगिकी सहायक का मानदेय स्थगित किया जाय तथा कारणपृच्छा की मांग करें।

जिलाधिकारी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें बिना पर्याप्त कारण के अस्वीकृत नहीं किया जाय। अपर समाहर्ता को निदेशित किया गया कि वे भूमि सुधार उप समाहर्ता से पटना सदर एवं फुलवारीशरीफ अंचल के अस्वीकृत मामले की जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

3. प्रमाण–पत्र :–

जिला स्तर पर 132 आवेदन पत्र निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी लंबित है। इसके संबंध में श्री मुकेश कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक से पृच्छा की गई। उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि इन्हें आज ही बर्खास्त किया जाय। जाति प्रमाण पत्र के कार्य के संबंध में

नोडल पदाधिकारी/अपर जिला दंडाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला कल्याण शाखा से इस कार्य को हटाकर जिला सामान्य शाखा से कराया जाय।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं कार्यपालक सहायक अच्छा कार्य करेंगे उन्हें भविष्य में उनके द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में किए गए अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, फुलवारीशरीफ द्वारा बताया गया कि बिचौलियों को पहचान करने के ख्याल से आवेदन के साथ आवेदन देने वाले व्यक्ति का किसी भी तरह का पहचान पत्र मांगा जा रहा है ताकि स्पष्ट हो सके कि आवेदन देने वाला व्यक्ति सही है। जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में किसी तरह का पहचान पत्र नहीं लिया जाय।

4. एस0एम0एस0 :–

पटना सिटी में मात्र 14 प्रतिशत एस0एम0एस0 किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी सहायक द्वारा बताया गया कि प्रखंड/अंचल से प्राप्त प्रमाण पत्र में मोबाईल नम्बर नहीं रहने के कारण ऐसा होता है। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी को प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षर हेतु भेजे जाने वाले पत्र में आवेदक का मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित करें ताकि अनुमंडल स्तर पर निष्पादन की सूचना आवेदक को एस0एम0एस0 से दिया जा सके। स्थापना उप समाहर्ता–सह–नोडल पदाधिकारी इस आशय का पत्र निर्गत करें। साथ ही साथ यह भी निदेश दिया गया कि जिस कार्यालय में 60 प्रतिशत से कम एस0एम0एस0 हुआ है उनसे स्पष्टीकरण की मांग करें।

5. सिंक्रोनाईजेशन :–

प्राप्त आवेदन को फुलवारीशरीफ, पुनपुन, बख्तियारपुर दनियावां प्रखंड के सूचना प्रौद्योगिकी सहायक द्वारा सिंक्रोनाईजेशन का किया गया कार्य प्रशंसनीय है। बेलछी, धनरूआ, घोसवरी, पटना सदर, मसौढ़ी, पंडारक में यह कार्य असंतोषजनक है। फुलवारीशरीफ प्रखंड के सूचना प्रौद्योगिकी सहायक द्वारा प्रींटर कार्ट्रिज के संबंध में

ससमय क्रय करने या रिफिलिंग कराने की चर्चा की गई। इस संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि दो बार रिफिलिंग करायें फिर नया कार्ट्रिज क्रय करें।

6. ई–मेल से पत्र भेजने/प्राप्त करने की व्यवस्था :–

जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय के बीच आई0टी0 आधारित कम्यूनिकेशन सुविधा को विकसित करने संबंधी कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2293/गो0 दिनांक 02.03.2013 द्वारा निर्गत किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी का ई–मेल एड्रेस दिया गया है। आई0 टी0 मैनेजर को निदेश दिया गया कि वे एन0आई0सी0 से पासवर्ड प्राप्त कर सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें। सभी सूचना प्रौद्योगिकी सहायक प्रतिदिन ई–मेल से प्राप्त होने वाले पत्र समय–समय पर डाउनलोड कर पंजी में आवश्यक विवरणी दर्ज करने के उपरान्त प्रधान लिपिक/पदाधिकारी को देंगे। प्रखंड स्तर से जिला को भेजे जाने वाले पत्र सूचना प्रौद्योगिकी सहायक स्कैन कर आदेश में दर्शाए गए ई–मेल पर भेजेंगे। महत्वपूर्ण पत्रों को आई0टी0मैनेजर जिले के वेबसाईट पर अपलोड करेंगे।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नौबतपुर में आर0टी0पी0एस0 काउण्टर पर शांति बनाए रखने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा अंचल गार्ड की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। अंचल अधिकारी उस बल को इस कार्य में लगाए। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे इसका अनुश्रवण करेंगे।

जिलाधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, आई0 टी0 मैनेजर, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, कार्यपालक सहायक में टीम भावना का अभाव देखा जा रहा है। आई0 टी0 मैनेजर, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं कार्यपालक सहायक का लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत नियुक्ति की गई है, वे लोग भी प्रखंड/अंचल के कर्मचारी के तरह ही हैं। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को एक–दूसरे से समन्वय स्थापित रखते हुए आम जनता के हित में कार्य करना है। दोनों कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न बिन्दुओं पर निदेश दिए गए हैं, उसका अक्षरसः अनुपालन होना चाहिए। लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों की

मनमानी को समाप्त करना होगा। राज्य स्तरीय जाँच दल कभी भी किसी आर0टी0 पी0एस0 काउण्टर पर छापेमारी कर सकता है, अतः सभी लोग सतर्क रहें।

साथ ही साथ संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अभी विधान मंडल का सत्र चल रहा है। सत्रावधि में धरना, प्रदर्शन, आमरण–अनशन एवं यातायात अवरूद्ध करने का कार्यक्रम विभिन्न संगठनों, राजनैतिक दलों आदि द्वारा किया जाता है। अतः इस बिन्दु पर पूरी सतर्कता बरतेंगे। विधान मंडल की सत्रावधि में विधान सभा प्रश्न प्राप्त होते हैं। अतः विधान मंडल प्रश्न का उत्तर समय–सीमा के अन्दर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद कार्यशाला की कार्यवाही समाप्त की गयी।

–ह0–

जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक XVII/02/13-1015/स्था0 पटना, दिनांक– 23/3/13

प्रतिलिपि– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना/अपर समाहर्ता, पटना/अपर जिला दंडाधिकारी (सामान्य), पटना/स्थापना उप समाहर्ता–सह–नोडल पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना जिला/जिला अवर निबंधक, पटना/वाणिज्यकर पदाधिकारी, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/नजारत उप समाहर्ता, पटना/सभी वरीय उप समाहर्ता, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, पटना/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अंचलाधिकारी, पटना जिला/जिला आई0टी0 प्रबंधक, पटना/ सभी सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, पटना जिला/सभी कार्यपालक सहायक, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, पटना।